फार्म–एफ

S.No.	Description	Page No.
1.	निर्णय का शीर्षक	2
2.	अधिवक्ताओं की उपस्थिति	2
3.	आरोप	4
4.	अभियोजन कहानी	4–7
5.	प्रकरण के विचारणीय प्रश्न	8
6.	विवेचना, कारण और निष्कर्ष	8–33
7.	दोषसिद्धी /दोषमुक्ति	33–34
8.	दंडादेश	34–35
9.	आरोपीगण की निरूद्ध अवधि और मुजरा (set off)	35
10.	जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण	35–36

सही/–

(श्रीमती पल्लवी तिवारी)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, जांजगीर
जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

फार्म–डी

न्यायालयः–द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जांजगीर, **जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)** (पीठासीन अधिकारीः– श्रीमती पल्लवी तिवारी)		
[निर्णय दिनांक 30 /11/2023 को घोषित] **सत्र प्रकरण क्रमांक –73 /2021** (आरक्षी केन्द्र बिर्रा अपराध क्रमांक 66/2021) धारा–460,302/34,397,398,201 भा.द.सं. संस्थित दिनांक **12.10.2021**		
अभियोजन	–	छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा– आरक्षी केन्द्र बिर्रा जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
राज्य की ओर से	–	अपर लोक अभियोजक श्री चंद्रप्रताप सिंह
//विरूद्ध//		
अभियुक्तगण	–	**1**– कमलेश कुमार केंवट पिता कृष्णकुमार केंवट, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम नगारीडीह, थाना शिवरीनारायण, जिला जांजगीर–चॉपा (छ.ग.) **2**– रामनारायण कुम्हार, पिता बिसाहू कुम्हार, उम्र 31 वर्ष, निवासी ग्राम नगारीडीह, थाना शिवरीनारायण, जिला जांजगीर–चॉपा (छ.ग.)
अभियुक्तगण की ओर से–	–	श्री राकेश पाण्डेय अधिवक्ता ।

ई

घटना दिनांक	–	17.06.2021 से 18.06.2021 के मध्य
प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक		27.06.2021
अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक		24.09.2021
आरोप विरचित दिनांक		30.03.2022
साक्ष्य प्रारंभ करने की तिथि		06.05.2022

निर्णय हेतु आरक्षित दिनांक		22.11.2023
निर्णय दिनांक		30.11.2023
दंडित करने की तिथि, यदि कोई हो		30.11.2023

आरोपी का विवरण

क्रमांक	आरोपी का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	जमानत पर रिहा किये जाने की दिनांक/अभिरक्षा अवधि	आरोपित धारा	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दंडादेश	धारा 428 द.प्र.सं. के अंतर्गत विचारण के दौरान अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि
01	कमलेश कुमार केंवट पिता कृष्णकुमार केंवट, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम नगारीडीह, थाना शिवरीनारायण, जिला जांजगीर-चॉपा (छ.ग.)	29.06.2021	10.11.2022	460,302 /34,397 , 201 भा.दं.सं.	**दोषमुक्त**		29.06.2021 से 10.11.2022 तक कुल दिवस
02	रामनारायण कुम्हार, पिता बिसाहू कुम्हार, उम्र 31 वर्ष, निवासी ग्राम नगारीडीह, थाना शिवरीनारायण, जिला जांजगीर-चॉपा (छ.ग.)	20.12.2021	30.11.2023	460,302 /34,397 ,398, 201 भा.दं.सं.	**दोषसिद्ध**	अभियुक्त रामनारायण कुम्हार को धारा 302 भा.दं.सं. के अपराध मे आजीवन कारावास तथा 5000/- रुपये के अर्थदण्ड तथा धारा 397 भा.दं.सं. के अपराध मे 07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 4000/-रुपये अर्थदण्ड एवं धारा 201 भा.दं.सं. के अपराध मे 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 3000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया अर्थदण्ड अदा किए जाने मे व्यतिक्रम होने पर अभियुक्त को क्रमशः 6,5 एवं 4 माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगताई जावे। कारावास की सभी सजायें साथ साथ चलेंगी ।	20.12.2021 से दिनांक 30.11.2023 तक कुल 711 दिवस

-निर्णय-
(आज दिनांक 30.11.2023 को घोषित)

01- आरोपीगण के विरूद्ध धारा 460, 302 सहपठित धारा 34, 397,398, 201 भा.द.सं. के अंतर्गत यह आरोप है कि उन्होने दिनांक 17.06.2021 की रात्रि 8.00 बजे से दिनांक 18.06.2021 के सुबह 6.00 बजे के दरमियान ग्राम मल्दा थाना बिर्रा जिला जांजगीर-चॉपा मे मृतिका सुखमती कुम्हार के घर अंदर प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रौ गृह भेदन कर स्वेच्छया सुखमती कुम्हार की मृत्यु कारित किया तथा सामान्य आशय को अग्रसरण करते हुए सुखमती कुम्हार को टंगिया से मारकर मृत्यु कारित कर साशय हत्या कारित किए और सुखमती कुम्हार की मृत्यु कारित करने के प्रयत्न के साथ उसके घर के आलमारी मे रखे पैसा एवं जेवर की लूट कारित किया तथा लूट कारित करने के प्रयत्न के समय घातक आयुध से सुसज्जित रहने और यह जानते हुए कि हत्या का अपराध किया गया है मृतिका के शव को रेत मे गढाकर साक्ष्य का विलोपन किये ।

02- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 26. 06. 2021 को सूचक आगर दास मानिकपुरी (अ.सा.3) द्वारा थाना बिर्रा मे इस आशय का सूचना दिया कि ग्राम सिलादेही हसदेव नदी के पास एक अज्ञात महिला का शव नदी के रेत मे गड़ा हुआ दिख रहा है, शव नग्न अवस्था मे है तथा शव के सिर एवं कमर के नीचे चोट का निशान दिखायी दे रहा है । उक्त

सूचना के आधार पर थाना बिर्रा द्वारा मर्ग सूचना (प्र.पी.7) कायम कर, शव का शिनाख्तगी पंचनामा (प्र.पी.1) तैयार किया गया । शिनाख्तगी कार्यवाही उपरांत पता साजी किए जाने पर ग्राम मल्दा थाना कसडोल निवासी गणेशराम प्रजापति (अ.सा.5) तथा रामनाथ प्रजापति (अ.सा.13) द्वारा उक्त महिला के शव को अपनी मॉ सुखमती कुम्हार के रुप मे किया गया तथा उक्त संबंध मे थाना मे गुम इंसान मे दर्ज होना बताया गया, तदपश्चात मृतिका के शव का पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्र.पी.16) प्राप्त किया गया । विवेचना के दौरान आरोपी कमलेश केंवट से पूछताछ किए जाने पर यह पाया गया कि मृतिका का दामाद आरोपी रामनारायण मृतिका सुखमती से बहुत परेशान था, इस कारण दिनांक 17.06.2021 को रात्रि के समय दोनो आरोपीगण मृतिका सुखमती के घर ग्राम मल्दा गये और आरोपी रामनारायण ने टंगिया से उसके सिर और कमर मे मारा तथा आलमारी से पैसा और जेवर निकाल लिया तथा मृतिका को अधमरी हालत मे दोनो आरोपीगण मोटर सायकल से ले जाकर सिलादेही हसदेव नदी के रेत मे गडा दिये । विवेचना के दौरान आरोपी कमलेश केंवट का मेमोरंडम कथन (प्र.पी.14) गवाहो के समक्ष दर्ज किया गया तथा उसके पेश करने पर गवाहो के समक्ष घटना मे प्रयुक्त मोटर सायकल, घटना के समय पहने कपडे, मोबाइल आदि जप्त कर (प्र.पी.12,13 एवं प्र.पी. 4 अनुसार) जप्ती

पत्रक तैयार किया गया । विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा (प्र.पी.10) तैयार किया गया । पोस्टमार्टम पश्चात मृतिका के शरीर के अवयव एवं बाजारु अंगूठी (प्र.पी.30 अनुसार) जप्त किया गया । विवेचना के दौरान सादी कांक्रीट एवं खून लगा कांक्रीट, छींटदार लुंगी का टुकडा (प्र.पी.32 अनुसार) जप्त किया गया । विवेचना के दौरान आरोपी कमलेश केंवट को विधिवत गिरफ्तार कर गिफ्तारी पत्रक (प्र.पी.6) तैयार किया गया, आरोपी रामनारायण के फरार होने के संबंध मे उद्घोषणा पत्र जारी किए जाने के संबंध मे पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चॉपा को तहरीर (प्र.पी.45) प्रेषित किया गया । आरोपी रामनारायण का मेमोरंडम कथन (प्र.पी.21) तैयार कर आरोपी के पेश करने पर घटना मे प्रयुक्त लोहे का टांगी, डिब्बे मे भरा सोने चांदी के जेवर जप्त कर जप्ती पत्रक (प्र.पी.12) तैयार किया गया एवं जप्तशुदा सोने चांदी के जेवरो की पहचान कार्यवाही (प्र.पी.25 अनुसार) करायी गयी तथा प्रकरण मे जप्तशुदा प्रदर्शो के रसायनिक परीक्षण हेतु क्षेत्रीय न्यायिक विधि विज्ञान प्रयोग शाला बिलासपुर प्रेषित किया गया, जिसकी रिपोर्ट (प्र.पी.49) पेश कर, संपूर्ण विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र उपार्पण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, प्रकरण विधिवत न्यायालय सत्र न्यायाधीश जांजगीर को उपार्पित किया गया, तत्पश्चात् विचारण हेतु इस न्यायालय को अंतरण पर प्राप्त हुआ है।

03– आरोपीगण के विरुद्ध धारा 460,302 सहपठित धारा 34, 397,398,201 भा.द.सं. से दण्डनीय आरोप विरचित कर सुनाया व समझाया गया। आरोपीगण ने अपराध अस्वीकार किया एवं विचारण चाहा।

04– अभियोजन की ओर से साक्षी राजकुमार कुम्हार (अ.सा.–1), दिनेश कुमार भैना (अ.सा.–2), आगर दास मानिकपुरी (अ.सा.–3),हीरालाल कटकवार (अ.सा.–4), गणेशराम प्रजापति (अ.सा.–5),डॉ.एस.के.पटेल(अ.सा.–6), तारकेश्वर जायसवाल (अ.सा.–7),सहायक उप निरीक्षक जी.पी.पटेल (अ.सा.–8),नरेश कुमार साहू (अ.सा.–9),राधेलाल चौहान (अ.सा.–10),संतोष कुमार सोनी (अ.सा.–11),तहसीलदार लक्ष्मीकांत (अ.सा.–12), रामनाथ प्रजापति (अ.सा.–13) एवं निरीक्षक मोहम्मद तारीक (अ.सा.–14) का साक्ष्य न्यायालय में कराया गया है।

05– द.प्र.सं. की धारा 313 के तहत आरोपीगण का कथन लिया गया। आरोपीगण ने स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाने का कथन किया है, और अपने पक्ष समर्थन में किसी साक्षी का कथन नहीं कराया है।

06– प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है कि:–

1–क्या आरोपीगण ने मृतिका सुखमति कुम्हार के निवास गृह मे रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार/रात्रौ गृह भेदन करते समय सुखमति कुम्हार की मृत्यु कारित किया ?

2–क्या आरोपीगण ने सामान्य आशय के अग्रसरण मे मृतिका सुखमति कुम्हार की साशय मृत्यु कर हत्या किया ?

3–क्या आरोपीगण ने मृतिका सुखमति कुम्हार की मृत्यु कारित करने के प्रयत्न के साथ उसके आलमारी मे रखे पैसा और जेवरों की लूट कारित किया ?

4–क्या आरोपी रामनारायण ने घातक आयुध से सुसज्जित होकर मृतिका के घर मे लूट करने का प्रयत्न किया ?

5–क्या आरोपीगण ने मृतिका सुखमति कुम्हार की हत्या करने के अपराध की साक्ष्य का विलोपन स्वयं को वैध दण्ड से बचाने के आशय से किया ?

विवेचना एवं निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 से 5 :–

07– तथ्यों की पुनरावृत्ति से बचने एवं साक्ष्य का क्रमबंधन बनाये रखने के लिए सभी विचारणीय प्रश्नों पर एक साथ विवेचना की जा रही है ।

08– सर्वप्रथम यह तथ्य विचारणीय है कि क्या मर्गसूचना क्रमांक 19/21 (प्र.पी.7) के आधार पर प्राप्त अज्ञात महिला का शव मृतिका सुखमति कुम्हार का था?

09– यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन के इस प्रकरण का प्रारंभ प्रार्थी रामनाथ प्रजापति (अ.सा.–13) द्वारा उसकी मॉ सुखमती कुम्हार के लापता होने की सूचना थाना कसडोल मे देने तथा सूचनाकर्ता आगर दास मानिकपुरी द्वारा थाना बिर्रा मे मर्ग क्रमांक 19/21 मे यह सूचना देने पर कि ग्राम सिलादेही हसदेव नदी पानी पाइप लाइन के पास अज्ञात महिला का शव नदी की रेत मे गडा हुआ है, जिसके सिर और कमर के नीचे चोट का निशान है से हुआ है, गुम इंसान सूचना क्रमांक 42/19 (प्र.पी.19) तथा मर्गसूचना क्रमांक 19/21 (प्र.पी.7) है।

10– साक्षी रामनाथ प्रजापति (अ.सा.–13) ने मुख्य परीक्षण साक्ष्य मे बताया है कि दिनांक 19.06.2021 को रात्रि 10.00 बजे इसका मितान भाई फोन से इससे पूछा कि सुखमती बाई वहां आयी है क्या, तब इसने अपने भाई गणेशराम प्रजापति तथा अन्य रिश्तेदारों को फोन कर सुखमति बाई के बारे मे जानकारी प्राप्त किया और अगले दिन ग्राम मल्दा जाकर देखा कि घर के मुख्य दरवाजा मे ताला लगा हुआ था, इसने राजकुमार तथा शिवकुमार के साथ सुखमति बाई का पता लगाया और पता नहीं चलने पर घर का ताला तोडकर देखा तो इसकी मॉ घर पर नहीं थी और उसके कपडे बिखरे थे, तब इसने दिनांक 21.06.2021 को थाना कसडोल मे गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज

करायी। इसी प्रकार का कथन साक्षी गणेशराम प्रजापति (अ.सा.–5) ने किया है, जिसमे बताया है कि उसके भाई रामनाथ प्रजापति को पडोसियों ने फोन करके बताया कि इन लोगों की मॉ दिखायी नहीं दे रही है, तब रामनाथ ने इसे फोन किया और रिश्तेदारों मे पता तलाशी किया तथा कहीं पता नही चलने पर थाना कसडोल मे रामनाथ ने उसकी मॉ का पता नहीं चलने की रिपोर्ट दर्ज करायी थी ।

11– साक्षी सहायक उप निरीक्षक जी.पी.पटेल (अ.सा.–8) ने उक्त कथनों का समर्थन करते हुए यह बताया है कि दिनांक 21.06.2021 को रामनाथ प्रजापति ने थाना कसडोल मे उपस्थित होकर उसकी मॉ सुखमति कुम्हार के दिनांक 17.06.2021 को रात मे घर मे होने के बाद दिनांक 18.06.2021 को सुबह बिना बताये कहीं चली जाने की सूचना दी गयी थी, जिस पर इसने गुम इंसान क्रमांक 42/21 रोजनामचा सान्हा क्रमांक 15/21 दिनांक 21.06.2021 दर्ज किया था, इसने रोजनामचा सान्हा की नकल प्र.पी.19 मे अपना हस्ताक्षर होना कहा है और प्रतिपरीक्षण मे इस सुझाव को गलत होना कहा है कि गुम इंसान सूचना दूधनाथ उर्फ अविनाश एवं मृतिका की लडकी हेमलता के द्वारा दी गयी थी और इसने हेमलता और अविनाश के

बताने पर कार्यवाही की थी । इस प्रकार मृतिका का दिनांक 17.06.2021 की रात्रि से नहीं मिलने का तथ्य दर्शित होता है ।

12- साक्षी राजकुमार कुम्हार (अ.सा.-1) ने यह कथन किया है कि मृतिका के पुत्र रामनाथ ने इससे घर मे ताला लगे होने और सुखमति का कोई पता नहीं चलने की जानकारी दिया था, तब इन लोगों ने उसके घर के ताला को तोडा और अंदर गये, तब देखे कि मृतिका घर पर नहीं थी और मृतिका की माला मोती जमीन मे बिखरे हुए थे, तथा सामान भी बिखरा हुआ था ।

13- साक्षी गणेशराम प्रजापति (अ.सा.-5) ने भी यह कथन किया है कि जब यह घर गया तब इसने देखा कि इसकी मॉ सुखमति की माला के मोती पलंग के नीचे बिखरा हुआ था और पलंग की चादर अस्त व्यस्त थी, फर्श मे खून के धब्बे लगा था, जिसे कपडे से पोछने का निशान दिख रहा था। दिनांक 23.06.2021 को इसने अपने घर की आलमारी को खोला तो उसमे जेवर और पैसा नहीं थे, जिसके संबंध मे इसने थाने मे रिपोर्ट दर्ज करायी थी।

14- साक्षी आगरदास मानिकपुरी (अ.सा.-3) ने कथन किया है कि इसने पाइप लाइन के पास अज्ञात महिला का शव नदी मे रेत के पास देखा था, जिसकी सूचना इसने थाने मे जाकर देखा था, इसकी सूचना पर मर्ग

क्रमांक 19/21 दर्ज किया गया था, इसने मर्ग सूचना प्र.पी.7 पर अपना हस्ताक्षर होना बताया है ।

15- साक्षी निरीक्षक मोह. तारीक (अ.सा.-14) का कथन है कि दिनांक 26.06.2021 को आगरदास मानिकपुरी की सूचना पर इसने मर्ग क्रमांक 19/21 प्र.पी.7 दर्ज किया था और नक्शा पंचायतनामा की कार्यवाही हेतु गवाहों को नोटिस प्र.पी.28 दिया तथा गवाहों के समक्ष नक्शा पंचनामा प्र.पी.9 तैयार किया था । इसने दिनांक 27.06.2021 को शव शिनाख्तगी पंचनामा प्र.पी.1 तैयार करना कहा है और इसी दिन आरोपी रामनारायण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.29 भी दर्ज किया था । साक्षी राजकुमार कुम्हार (अ.सा.-1) ने शिनाख्तगी पंचनामा प्र.पी.1 तथा आगरदास मानिकपुरी (अ.सा.-3) ने शव पंचनामा प्र.पी.9 पर अपना हस्ताक्षर होना बताया है ।

16- साक्षी गणेशराम प्रजापति (अ.सा.-5) ने मुख्य परीक्षण साक्ष्य मे कथन किया है कि थाना बिर्रा से इसे फोन कर दिनांक 27.06.2021 को शव पंचनामा कार्यवाही हेतु बुलाया गया था, जिसमे इसने शव को अपनी मॉ का होना पहचाना था, इसके समक्ष तैयार शिनाख्तगी पंचनामा प्र.पी.1 पर इसका हस्ताक्षर होना कहा है ।

17– इसी प्रकार मृतिका के पुत्र साक्षी रामनाथ प्रजापति (अ.सा.–13) ने भी यह कथन किया है कि बम्हनीडीह अस्पताल में इन लोगो को शव दिखाया गया था, तब इसने और इसके छोटे भाई गणेश ने शव को पहचाना था । पुलिस ने इसके समक्ष शिनाख्तगी पंचनामा प्र.पी.1 तैयार किया था और इसकी मॉ के शव को पुलिस ने इसे सुपुर्दनामे पर दिया था । इस प्रकार स्पष्ट है कि दिनांक 26.06.2021 को अज्ञात महिला का प्राप्त शव की सूचना पर दर्ज मर्ग क्रमांक 19/21 प्र.पी.7 के शव की पहचान मृतिका सुखमति कुम्हार का होना बताया गया है ।

18– साक्षी निरीक्षक मोह.तारीक (अ.सा.–14) का यह भी कथन है कि दिनांक 13.09.2021 को डाक्टर अश्वनी कुमार राठौर के प्रस्तुत करने पर रामनाथ प्रजापति का रक्त नमूना जप्ती पत्र प्र.पी.33 के अनुसार जप्त किया गया था और मृतिका के शव के पहचान के लिए डीएनए परीक्षण हेतु राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला आवेदन प्र.पी.39 के साथ प्रेषित किया था, जिसकी रसीद प्र.पी.40 तथा प्राप्त प्रतिवेदन प्र.पी.41 होना बताया गया है । रामनाथ प्रजापति (अ.सा.–13) ने भी यह कथन किया है कि पुलिस ने इसका रक्त नमूना डीएनए एनालिसिश के लिए भेजा था, इसने डाक्टर द्वारा लिया गया ब्लड नमूना प्रतिवेदन प्र.पी.27 पर अपना हस्ताक्षर होना कहा है ।

19- साक्षी निरीक्षक मोह. तारीक (अ.सा.-14) का कथन है कि आरक्षक सुनील कुमार रमन द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बम्हनीडीह से लाकर पेश करने पर मृतिका का मोलर दांत और दाहिने पैर का फीमर बोन सीलबंद अवस्था मे पेश करने पर जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.30 तैयार किया था।

20- डीएनए परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.41 के अवलोकन से दर्शित होता है कि मृतिका के फिमर बोन प्रदर्श ए, मोलर टीथ प्रदर्श बी तथा रामनाथ प्रजापति का रक्त नमूना प्रदर्श सी का परीक्षण करने पर (रामनाथ प्रजापति का रक्त प्रदर्श सी, मृतिका के फिमर बोन प्रदर्श ए, मोलर टीथ प्रदर्श बी के अनुसार) रामनाथ प्रजापति को मृतिका का जैविक पुत्र होना प्रतिवेदित किया गया है। इस तरह यह पूर्णतः प्रमाणित होता है कि ग्राम सिलादेही हसदेव नदी पाइप लाईन के पास प्राप्त शव मृतिका सुखमति कुम्हार का था।

21- अब यह देखना है कि क्या मृतिका की मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति की थी ?

22- साक्षी निरीक्षक मोह. तारीक (अ.सा.-14) का कथन है कि इसने गवाहों के समक्ष नक्शा पंचायत नामा प्र.पी.9 तैयार किया था और उसे दिनांक 26.06.2021 को शव परीक्षण हेतु तहरीर प्र.पी.31 तैयार कर भेजा

था । नक्शा पंचायतनामा प्र.पी.9 के अवलोकन से दर्शित होता है कि मृतिका के कमर और सिर मे चोट के निशान थे और शव के पैर के तरफ एक प्लास्टिक का पुराना फटा बोरा मिला था, जिसमे खून के धब्बे जैसे निशान थे और सिर मे बाल नहीं थे तथा शव के पास रेत मे बाल मिले थे ।

23- साक्षी डॉ.एस.के.पटेल (अ.सा.-6) का कथन है कि दिनांक 27.06.2021 को महिला के शव का परीक्षण करने पर पाया था कि आंख सड़ चुकी थी, सिर पर बाल नहीं थे, शरीर के उपरी भाग मे मिटटी और रेत उपस्थित थे, शरीर पेल हो गये थे, सिर के दांये टेम्पोरल भाग मे दो कट का निशान था,जिसका आकार 6.5x2x1 से.मी., दूसरा कटा हुआ चोट आकार 4x2x1 से.मी., ग्लूटियल भाग मे तीन कटा हुआ निशान था, जिनका आकार 3x2x3 से.मी. तथा 3.5x2x1 से.मी. तथा 1x1x1 से.मी. था, शव सडा हुआ था । इसने शव की उंगली मे पहने हुए अंगूठी,राईट फीमर बोन व मोलर दांत को प्रिजर्व कर उसी आरक्षक को सौंप देना बताया है तथा मृत्यु का कारण हृदय श्वांसावरुद्व जो घातक चोट लगने से आना कहा है तथा मृतिका को आयी घातक चोट धारदार हथियार से आना संभावित होना कहा है और पोस्टमार्टम किए जाने से 7 से 10 दिन के अंदर मृत्यु का समय होना बताया है । इसने

मृत्यु की प्रकृति होमीसाइडल होना कहा है और शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.16 पर अपना हस्ताक्षर होना बताकर इसे प्रमाणित किया है ।

24- इस प्रकार साक्षी डॉ.एस.के.पटेल (अ.सा.-6) के न्यायालयीन कथन तथा उसके शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.16 तथा शव के प्राप्त होने के स्थान जैसे तथ्य से यह प्रमाणित पाया जाता है कि मृतिका सुखमति कुम्हार की मृत्यु उसे पहुंचाई गई चोट के कारण हुई थी जिसकी प्रकृति हत्यात्मक थी।

25- अब यह देखा जाना है कि क्या मृतिका सुखमति कुम्हार की हत्या आरोपीगण के द्वारा कारित की गयी ?

26- अभियोजन प्रकरण के अनुसार आरोपीगण मिलकर मृतिका सुखमति कुम्हार के घर मे घुसकर मृतिका से जेवर मांगे और मृतिका द्वारा मना करने पर टंगिया से सिर और कमर मे मारकर हत्या कारित किया और जेवर पैसा तथा मृतिका को लेकर गये तथा सिलादेही हसदेव नदी की रेत मे मृतिका के शव को गड्ढे मे छिपा दिये और मृतिका के कपडो को नदी मे फेक दिये ।

27- अभियोजन का यह प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायदृष्टांत ***Manoj Pratap Singh* v. *State of Rajasthan*, (2022) 9 SCC 81** में न्यायदृष्टांत **शरद**

विरदी चंद शारदा वि0 **स्टेट ऑफ महाराष्ट्र** का अवलंब लेते हुए परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संबंध मे निम्नानुसार सिद्वांत प्रतिपादित किया है–

17-- **(This extract is taken from *Manoj Pratap Singh v. State of Rajasthan*, (2022) 9 SCC 81 : 2022 SCC OnLine SC 768 at page 144) .** The principles explained and enunciated in *Sharad Birdhichand Sarda* v. *State of Maharashtra* [*Sharad Birdhichand Sarda* v. *State of Maharashtra*, (1984) 4 SCC 116 : 1984 SCC (Cri) 487] remain a guiding light for the courts in regard to the proof of a case based on circumstantial evidence, wherein this Court referred to the celebrated decision in *Hanumant* v. *State of M.P.* [*Hanumant* v. *State of M.P.*, (1952) 2 SCC 71 : AIR 1952 SC 343] and deduced five golden principles, panchsheel, of proving a case based on circumstantial evidence in the following passages : (*Sharad Birdhichand Sarda case* [*Sharad Birdhichand Sarda* v. *State of Maharashtra*, (1984) 4 SCC 116 : 1984 SCC (Cri) 487] , SCC pp. 184-86, paras 152-57)

"*152*. … It may be useful to extract what Mahajan, J. has laid down in *Hanumant case* [*Hanumant* v. *State of M.P.*, (1952) 2 SCC 71 : AIR 1952 SC 343] : (SCC pp. 76-77, para 12)

'*12*. It is well to remember that in cases where the evidence is of a circumstantial nature, the circumstances from which the

conclusion of guilt is to be drawn should in the first instance be fully established, and all the facts so established should be consistent only with the hypothesis of the guilt of the accused. Again, the circumstances should be of a conclusive nature and tendency and they should be such as to exclude every hypothesis but the one proposed to be proved. In other words, there must be a chain of evidence so far complete as not to leave any reasonable ground for a conclusion consistent with the innocence of the accused and it must be such as to show that within all human probability the act must have been done by the accused.'

28- मृतिका की हत्या का हेतुक (Motive) पर विचार किए जाने से दर्शित होता है कि साक्षी गणेशराम प्रजापति (अ.सा.-5) ने मुख्य्य परीक्षण साक्ष्य मे यह कथन किया है कि आरोपी रामनारायण उसकी बहन हेमलता का पति है, आरोपी रामनारायण का हेमलता से लडाई झगडा होते रहता था और मृतिका हेमलता और रामनारायण को समझाया करती थी, तब रामनारायण को ऐसा लगता था कि मृतिका अपनी बेटी का पक्ष लेती है, तब आरोपी रामनारायण मृतिका को मारने की धमकी देता था और यह भी कहता था कि मृतिका ने हेमलता की दूसरी शादी कराने मे सहयोग किया है और हेमलता के गहने और जेवरों की मांग करता था ।

29- प्रतिपरीक्षण मे पूछे जाने पर साक्षी गणेशराम प्रजापति (अ.सा.-5) ने मुख्य परीक्षण मे आरोपी रामनारायण द्वारा धमकी दिये जाने के संबंध मे जो विस्तारपूर्वक कथन किए हैं, उन्हें पुलिस कथन प्र.डी.1 मे विस्तारपूर्वक नहीं देना स्वीकार किया है । परन्तु यह उल्लेखनीय है कि साक्षी गणेशराम प्रजापति (अ.सा.-5) के पुलिस कथन प्र.डी.1 मे यह उल्लेखित है कि "इसकी छोटी बहन हेमलता कुम्हार का पहला पति रामनारायण कुम्हार इसकी मॉ सुखमति कुम्हार को हेमलता कुम्हार का जेवर गहना दो कहकर अक्सर परेशान करता था और जेवर गहना नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देता था" ।

30- इस प्रकार तात्पर्य यह है कि साक्षी गणेशराम प्रजापति (अ.सा.-5) के द्वारा मुख्य परीक्षण साक्ष्य मे किये गये कथन प्रथम बार न्यायालयीन कथन मे किये गये हों, ऐसा नहीं है । इसी प्रकार साक्षी रामनाथ प्रजापति (अ.सा.-13) ने भी मुख्य परीक्षण साक्ष्य मे बताया है कि इसने पुलिस को यह बताया था कि इसे आरोपी रामनारायण कुम्हार पर शंका है । इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण मे स्वीकार किया है कि आरोपी रामनारायण की पत्नी हेमलता जो इसकी छोटी बहन है, दूधनाथ उर्फ अविनाश के साथ चली गयी है । साक्षी राजकुमार (अ.सा.-1) ने भी प्रतिपरीक्षण मे स्वीकार किया है

कि आरोपी रामनारायण मृतिका की पुत्री हेमलता का पति है और हेमलता आरोपी रामनारायण के साथ नहीं रहती है, वह किसी अन्य के साथ चली गयी है ।

31– इस प्रकार यह तथ्य दर्शित होता है कि आरोपी रामनारायण और मृतिका की पुत्री हेमलता पति पत्नी थे, जिनके बीच विवाद होने पर मृतिका की पुत्री हेमलता आरोपी रामनारायण को छोडकर चली गयी और आरोपी रामनारायण मृतिका से इस कारण विवाद रखता था तथा उपरोक्त तथ्यों से यह भी स्पष्ट है कि आरोपी रामनारायण मृतिका से गहनो की मांग कर परेशान करता था । इस प्रकार घटना का हेतुक (Motive) उपरोक्त तथ्यों से प्रमाणित होता है ।

32– साक्षी निरीक्षक मोह.तारीक (अ.सा.–14) ने कथन किया है कि आरोपी रामनारायण के बताये अनुसार उसका मेमोरंडम कथन प्र.पी.21 तैयार किया था और उसके आधार पर आरोपी रामनारायण के पेश करने पर लकडी का बेंट लगा पुराना इस्तेमाली लोहे का टांगी और एक हरा रंग का फटानुमा प्लास्टिक डब्बे मे भरा हुआ सोने चांदी का जेवर जप्त किया था । इसने जप्ती पत्र प्र.पी.12 पर अपना हस्ताक्षर होना बताया है (टंकण त्रुटिवश

साक्ष्य पत्रिका मे जप्ती पत्रक प्र.पी.22 के स्थान पर जप्ती पत्रक प्र.पी.12 टंकित हुआ है)

33- मेमोरंडम कथन प्र.पी.21 एवं जप्ती पत्रक प्र.पी.22 के अवलोकन से दर्शित होता है कि साक्षी राधेलाल चौहान तथा नरेश साहू के समक्ष आरोपी रामनारायण का मेमोरंडम कथन प्र.पी.21 लेखबद्ध किया गया था, जिसमे उसने घटना मे प्रयुक्त टांगी और ले गये जेवरो को अपने खेत की मेड मे गाड़ देना बताते हुए जप्ती पत्रक प्र.पी.22 के अनुसार जप्त कराया गया था।

34- साक्षी नरेश साहू (अ.सा.-9) ने विवेचना अधिकारी साक्षी निरीक्षक मोह.तारीक (अ.सा.-14) के कथनो का समर्थन नहीं किया है। यद्यपि मेमोरंडम कथन प्र.पी.21 और जप्ती पत्रक प्र.पी.22 पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।

35- परंतु साक्षी राधेलाल (अ.सा.-10) ने मुख्य परीक्षण साक्ष्य मे बताया है कि इसके सामने आरोपी रामनारायण ने आरोप को स्वीकार करते हुए टांगी और जेवर को आरोपी रामनारायण के बताये अनुसार खेत की मेड पर गड्ढा खोदकर वहां से टांगी और प्लास्टिक के डिब्बे मे पोलीथीन के अंदर गहने जिसमे गले का हार, पायल, नाक कान का जेवर, कमरबंद था को जप्त

किया गया था । इसने मेमोरंडम कथन प्र.पी.21 और जप्ती पत्रक प्र.पी.22 पर अपना हस्ताक्षर होना कहा है ।

36– साक्षी राधेलाल (अ.सा.–10) ने प्रतिपरीक्षण मे बताया है कि जप्ती पत्रक प्र.पी.22 के अनुसार जप्त गहने थाना प्रभारी ने थाने मे लाकर खोलकर दिखाया था । इसने स्वीकार किया है कि इसने थाने मे गहनो को खोलकर दिखाया गया था और थाने मे ही जप्ती बनायी गयी थी । साक्षी राधेलाल (अ.सा.–10) की यह स्वीकारोक्ति उसके मुख्य परीक्षण साक्ष्य का खंडन नहीं करती है अपितु इस तथ्य की पुष्टि करती है कि विवेचनाधिकारी साक्षी निरीक्षक मोह.तारीक (अ.सा.–14) द्वारा आरोपी रामनारायण के बताये अनुसार खेत के मेड पर गडडे मे से प्लास्टिक के डिब्बे मे पोलीथीन के अंदर रखे हुए जेवरात जप्त कर थाना ले गया था और जिस संबंध मे जप्ती पत्रक प्र.पी. 22 की लिखा पढ़ी थाने मे की गयी थी और थाने मे ही गहनो को खोलकर साक्षी को दिखाया गया है । उल्लेखनीय तथ्य है कि जप्ती की कार्यवाही और जप्ती की लिखा पढ़ी भिन्न–भिन्न कार्यवाही है ।

37– साक्षी राधेलाल (अ.सा.–10) ने प्रतिपरीक्षण मे यह भी कथन किया है कि आरोपी रामनारायण ने मेमोरंडम कथन प्र.पी.21 शाम के समय दिया था तथा विवेचनाधिकारी मोह.तारीक (अ.सा.–14) ने भी यह स्वीकार

किया है कि आरोपी का मेमोरंडम कथन उसके द्वारा समय 17.00 बजे थाना बिर्रा मे लेखबद्ध किया गया था । इसने यह स्वीकार किया है कि जप्ती पत्रक प्र.पी.22 मे लेखबद्ध समस्त सामान की जप्ती दिनांक 20.12.2021 को खुले स्थान से खेत की मेड से जप्त की गयी थी । उपरोक्त विश्लेषण से यह तथ्य आया है कि खेत की मेड मे गडडा खुदवाकर सामान को जप्त किया गया था । यद्यपि खेत का मेड खुला स्थान है, परंतु जप्ती पत्रक प्र.पी.22 की संपत्ति खेत की मेड मे मिटटी के अंदर दबाकर रखी गयी थी, जो कि आरोपी के विशिष्ट ज्ञान का तथ्य है ।

38- साक्षी संतोष कुमार सोनी (अ.सा.-11) ने कथन किया है कि थाना प्रभारी ने जेवरों के वजन के लिए इसे बुलवाया था तब इसने जेवरों का वजन किया था और जेवरो को सोने चांदी का होना पाया था, इस संबंध मे इसने प्रमाण पत्र प्र.पी.24 पुलिस को प्रदान किया था । इसने प्रतिपरीक्षण मे स्वीकार किया है कि यह सोने चांदी की जांच के लिए रसायन लेकर नहीं गया था और इसने आगे स्वीकार किया है कि इसके द्वारा जेवर की जांच सोने चांदी या अन्य धातु का होने के संबंध मे नहीं की गयी थी । इसने यह गलत होना कहा है कि इसने प्रमाण पत्र प्र.पी.24 जारी नही किया था, इसने अपने पिता के बाद से जेवर मे कारीगिरी का कार्य करना बताया है ।

39- साक्षी तहसीलदार लक्ष्मीकांत कोरी (अ.सा.-12) ने कथन किया है कि थाना बिर्रा द्वारा जप्त जेवरों के पहचान के लिए इसे ज्ञापन प्राप्त हुआ था तब इसने जप्त जेवरो की पहचान कार्यवाही तहसील कार्यालय बम्हनीडीह मे साक्षियों की उपस्थिति मे गणेश राम प्रजापति से करायी थी, जिसमे जप्त जेवरो के अलावा उससे मिलते जुलते जेवरो को मिलाकर पहचान कार्यवाही कर पंचनामा प्र.पी.25 तैयार किया था । इसने प्रतिपरीक्षण मे इन सुझावो को गलत होना कहा है कि पहचान कार्यवाही के समय पहचानकर्ता और साक्षी उपस्थित नहीं थे । इसने थाना प्रभारी के द्वारा शिनाख्तगी हेतु इसे लिखित प्रतिवेदन प्राप्त होना बताया है ।

40- साक्षी गणेशराम प्रजापति (अ.सा.-5) ने भी कथन किया है कि पुलिस ने जप्तशुदा सोने चांदी के जेवरो की पहचान हेतु इसे कार्यपालिक दंडाधिकारी बम्हनीडीह के समक्ष उपस्थित होने हेतु नोटिस प्र.पी.28 दिया था तब तहसील कार्यालय बम्हनीडीह मे उपस्थित होकर इसने जप्त सोने चांदी का पहचान किया था । इसने पहचान कार्यवाही प्र.पी.25 पर अपना हस्ताक्षर होना बताया है और प्रतिपरीक्षण मे साक्षी गणेशराम प्रजापति (अ.सा.-5) की साक्ष्य अखंडित रही है । इसने प्रतिपरीक्षण मे पूछे जाने पर पहचान कार्यवाही के समय जप्त जेवरों मे एक नग सोने का हार, 7 फर सोने का मनचली, एक

जोडी कान का झालर सोने का, सोने का मांग मोती, सोने का नथनी एक नग, बच्चे का चांदी का चूडा और इसकी मॉ के हाथ का चूडा, एक चांदी का पायल, चांदी का बाजूबंद, चांदी का हाथ पोछनी, चांदी का बालगुच्छा, करधन, बिछिया, अंगूठी एवं चाबी गुच्छा चांदी का होना बताया है।

41- इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि आरोपी रामनारायण के आधिपत्य से उसके बताये स्थान से मृतिका सुखमति कुम्हार का सोने चांदी के जेवर जप्त किये गये हैं, जिसकी पहचान साक्षी गणेशराम प्रजापति (अ.सा.-5) द्वारा की गयी है और आरोपी की ओर से इस संबंध मे कोई स्पष्टीकरण नही है कि मृतिका के सोने चांदी के जेवर उसके आधिपत्य मे किस प्रकार आये।

42- उपरोक्त विश्लेषण के अनुसार साक्षी निरीक्षक मोह. तारीक (अ.सा.-14) तथा राधेलाल चौहान (अ.सा.-10) की साक्ष्य के आधार पर आरोपी रामनारायण के आधिपत्य से टांगी भी जप्त की गयी है। साक्षी निरीक्षक मोह.तारीक (अ.सा.-14) ने आरोपी रामनारायण से जप्त की गयी टांगी की क्वेरी बाबत तहरीर प्र.पी.46 डाक्टर के पास प्रेषित करने का कथन किया है।

43- साक्षी डॉ.एस.के.पटेल (अ.सा.-6) ने कथन किया है कि थाना बिर्रा के अपराध क्रं.66/21 मे जप्तशुदा टांगी अभिमत हेतु इसके समक्ष प्रस्तुत की गयी थी, जिसका परीक्षण करने पर इसने पाया कि जप्तशुदा टांगी लोहे का था जिसमे लकडी का हत्था, जिसमे रेत और मिटटी लगी थी, टांगी के फल की लंबाई 5 इंच और धारदार भाग 3.5 इंच था, इसने उक्त टांगी का परीक्षण कर यह अभिमत दिया कि उपरोक्त टांगी से मृतिका के सिर और कमर पर चोट आना तथा मृत्यु होना संभावित है । इसने टांगी मे लगे धब्बे मानव रक्त होने के संबंध मे रसायनिक परीक्षण हेतु एफएसएल भेजने की सलाह दिया था और टांगी को सीलबंद कर उसी आरक्षक को वापस कर दिया, इसने टांगी परीक्षण के क्वेरी रिपोर्ट प्र.पी.18 पर अपना हस्ताक्षर होना बताया है ।

44- साक्षी डॉ.एस.के.पटेल (अ.सा.-6) ने प्रतिपरीक्षण मे इस सुझाव को गलत होना कहा है कि मृतिका को शव परीक्षण के दौरान पाये गये चोटें किसी धारदार सतह पर गिरने से आ सकती है और यह भी गलत होना कहा है कि मृतिका को आई हुई सभी चोटें वाहनो से हुई दुर्घटना से आ सकती है ।

45- इस प्रकार आरोपी रामनारायण से जप्त की गयी टांगी से मृतिका को आयी चोटें पहुॅचाये जाने का तथ्य भी प्रमाणित पाया जाता है । साक्षी

निरीक्षक मोह.तारीक (अ.सा.-14) ने जप्त उपरोक्त टांगी को रसायनिक परीक्षण हेतु क्षेत्रीय न्यायालयीक विधि विज्ञान प्रयोगशाला आवेदन प्र.पी.47 के माध्यम से प्रेषित करने का कथन किया है, जिसकी पावती प्र.पी.48 और रिपोर्ट प्र.पी.49 होना बताया है। रिपोर्ट प्र.पी.49 अनुसार टांगी प्रदर्श ए का परीक्षण करने पर उसमे मानव रक्त होना ही पाया गया है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से आरोपी रामनारायण की संलिप्तता घटना में पायी जाती है।

46- साक्षी निरीक्षक मोह.तारीक (अ.सा.-14) ने दिनांक 26.06.2021 को सफेद मटमैला रंग का प्लास्टिक बोरी, जिसमे धुल मिटटी लगा, शव के पास से रेत लगा हुआ सिर के बाल एवं एक प्लास्टिक बॉटल में हसदेव नदी का पानी भरा हुआ जप्त कर जप्ती पत्रक **प्र.पी. 11** तैयार करने का कथन किया है और जप्ती पत्रक प्र.पी.11 पर अपना हस्ताक्षर होना बताया है।

47- साक्षी निरीक्षक मोह.तारीक (अ.सा.-14) का कथन है कि दिनांक 28.06.2021 को आरोपी कमलेश केंवट का मेमोरंडम कथन उसके बताये अनुसार दर्ज किया था और इसी दिनांक को आरोपी के पेश करने पर जिन्स पेंट, लाइनदार फुलशर्ट जिसमे खून के धब्बे जैसे निशान दिख रहे थे और एक सुनहरे रंग का चैन वाली घडी तथा जियो कंपनी का मोबाइल जप्त

किया गया था । इसने आरोपी कमलेश केंवट से उक्त संपत्ति जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.12 और जप्ती पत्रक प्र.पी.4 तैयार करने का कथन किया है ।

48– उपरोक्त मेमोरंडम कार्यवाही और जप्ती के साक्षी राधेलाल (अ.सा.–10), दिनेश कुमार (अ.सा.–2), होरीलाल (अ.सा.–4) तथा तारकेश्वर (अ.सा.–7) हैं । साक्षी दिनेश कुमार (अ.सा.–2), होरीलाल (अ.सा.–4) एवं तारकेश्वर (अ.सा.–7) ने विवेचनाधिकारी साक्षी निरीक्षक मोह.तारीक (अ.सा.–14) के उक्त कार्यवाही का समर्थन नही किए हैं परंतु साक्षी राधेलाल (अ.सा.–10) ने यह बताया है कि इसके सामने दो पंचनामा तैयार किया गया था, जिसमे दिनांक 20.12.2021 को मृतिका के कपडो को जप्त करने का पंचनामा तैयार किया गया था और हसदेव नदी मे चाबी खोजने का तलाशी पंचनामा तैयार किया गया था, जिसमे चाबी नदी मे प्राप्त नहीं हुई थी । इसके सामने आरोपी का मोबाइल जप्त हुआ था । जप्ती पत्रक प्र.पी.12 के अनुसार आरोपी कमलेश केंवट से घटना के समय पहने हुए कपडे जिन्स तथा फुलशर्ट तथा एक घडी जप्त की गयी थी ।

49– साक्षी सहायक उप निरीक्षक जी.पी.पटेल (अ.सा.–8) ने दिनांक 24.06.2021 को ग्राम मल्दा के मृतिका सुखमती के मकान से सफेद झिल्ली मे खून लगा कांक्रीट मसाला तथा सादा मसाला कांक्रीट का,प्लास्टिक

डिब्बे के अंदर खून लगा रुई तथा नीले नंग की लूॅगी छीटदार के टुकडे प्र.पी.15 अनुसार जप्त करने का कथन किया है । साक्षी निरीक्षक मोह.तारीक (अ.सा.-14) ने उपरोक्त जप्तशुदा संपत्ति को क्वेरी परीक्षण हेतु मेडिकल आफिसर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तहरीर प्र.पी.33 अनुसार प्रेषित करना बताया है ।

50- डॉ.एस.के.पटेल (अ.सा.-6) ने उपरोक्त वस्तुओं मे पाये गये धब्बो को मानव रक्त होने के संबंध मे एफएसएल परीक्षण कराये जाने की सलाह देना बताकर क्वेरी प्रतिवेदन प्र.पी.17 पर अपना हस्ताक्षर होना कहा है । इस प्रकार साक्षी निरीक्षक मोह. तारीक (अ.सा.-14) ने उपरोक्त संपत्ति को आरक्षक क्रमांक 167 मिथलेश साहू के पेश करने पर जप्त किया था और रसायनिक परीक्षण हेतु तहरीर प्र.पी.36 के अनुसार क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला बिलासपुर प्रेषित किया था, जिसकी पावती प्र.पी.37 तथा जांच प्रतिवेदन प्र.पी.38 होना बताया है । रसायनिक परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.38 के अनुसार प्रदर्श ए,बी,सी,डी,एफ, जिसं पेंट,फुलशर्ट, कांक्रीट मसाला, खून लगा रुई, लूॅगी के टुकडे पर रक्त होना पाया गया है, जिसमे से कांक्रीट मसाला और रुई मे मानव रक्त होना पाया गया है, जिंस पेंट फुलशर्ट तथा लुंगी के टुकडे मे धब्बे विघटित होने से मानव प्रजाति हेतु परीक्षण रिपोर्ट

ऋणात्मक पाये गये । उल्लेखनीय है कि उपरोक्त जिन्स पेंट और फुलशर्ट जिसमे रक्त होना प्रमाणित पाया गया है, आरोपी कमलेश केंवट से जप्त किये गये उसके कपड़े हैं ।

51- यहां आरोपी कमलेश केंवट की उपरोक्त घटना मे संलिप्ता का प्रश्न विचारणीय है । आरोपी कमलेश केंवट का मेमोरेण्डम कथन प्र.पी. 14 तथा जप्ती पत्रक प्र.पी. 12 तथा प्र.पी. 04 की साक्ष्य आरोपी कमलेश केंवट के विरूद्ध इस प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गयी है । आरोपी कमलेश से उसके मेमोरेण्डम तथा प्र.पी. 14 के आधार पर घड़ी, मोबाईल, घटना के समय पहने हुये उसके कपड़े जिस पर मानव रक्त पाया गया, को जप्त किया गया है ।

52- सर्वप्रथम यह कि विवेचनाधिकारी मो. तारीक (अ.सा. 14) के साक्ष्य से यह दर्शित नही होता कि किन तथ्यों के प्रकट होने से आरोपी कमलेश से पूछताछ कर उसका मेमोरेण्डम कथन प्र.पी. 14 लेखबद्ध किया गया तथा आरोपी कमलेश से की गयी जप्त वस्तुओं पर विचार करने से यह दर्शित होता है कि आरोपी कमलेश से घड़ी जप्त की गयी है । परन्तु वह घड़ी मृतिका से संबंधित है ऐसा कोई साक्ष्य अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नही किया गया । अतः उक्त जप्त घड़ी से आरोपी कमलेश के विरूद्ध कोई परिस्थिति

दर्शित नहीं होती है । आरोपी कमलेश से मोबाईल जप्त किया गया है तथा विववेचानिधकारी मो. तारीक (अ.सा. 14) ने मुख्य परीक्षण साक्ष्य की कंडिका 10 में कथन किया है कि आरोपी कमलेश के मोबाईल नंबर जिसका लोकेशन माल्दा ग्राम के पास झावड़ी टॉवर पर पाया गया था । अतः उक्त मोबाईल का सीडीआर, सीएएफ एवं धारा 65 डी का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु तहरीर प्र.पी. 42 प्रेषित किया गया था । इसने आगे बताया है कि इसके द्वारा भेजी गयी उक्त तहरीर प्र.पी. 42 के परिप्रेक्ष्य में सीडीआर आर्टिकल-ए 1 प्राप्त हुआ था जिसमें लोकेशन ग्राम माल्दा के पास झावड़ी टॉवर पाया गया था। परन्तु इसने उक्त मोबाईल नंबर का सीएएफ और धारा 65 बी का प्रमाण-पत्र प्राप्त नही होना बताया है । इस तरह आरोपी कमलेश से जप्त किये गये मोबाईल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक साक्ष्य के आधार पर आरोपी कमलेश की अपराध में संलिप्ता की किसी परिस्थिति को अभियोजन ने प्रमाणित नहीं किया है ।

53- आरोपी कमलेश से जप्त पेंट एवं शर्ट जिस पर मानव रक्त रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 38 के अनुसार पाया गया है। परन्तु उपरोक्त मानव रक्त किसका था यह तथ्य प्रमाणित नहीं है । एक मात्र यह परिस्थिति आरोपी के विरूद्ध प्रकट की गयी है । जो कि आरोपी कमलेश के विरूद्ध संदेह

को उत्पन्न करती है परंतु संदेह कितना भी प्रबल हो वह प्रमाण का रूप नहीं ले सकता । अतः कपड़ो पर रक्त पाये जाने की एक मात्र परिस्थिति अन्य क़डियों के अभाव में आरोपी कमलेश को उपरोक्त अपराध मे दोषी मानने के लिए पर्याप्त नहीं है ।

54- जहां तक विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 का संबंध है, धारा 460 भादसं के अनुसार "रात्रौ प्रच्छत्र गृह अतिचार या रात्रौ गृह भेदन करते समय ऐसा अपराध का दोषी कोई व्यक्ति स्वेच्छा किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहति कारित करेगा या मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न करेगा तब संयुक्ततः संपृक्त हर व्यक्ति दण्डित किया जावेगा "। उपरोक्त विश्लेषण में यह तथ्य नहीं पाया गया है कि रात्रौ प्रच्छन गृह अतिचार या रात्रौ गृह भेदन करते समय मृतिका सुखमति कुम्हार की हत्या की गयी । अतः धारा 460 भादसं का आरोप आरोपी रामनारायण के विरूद्ध प्रमाणित नहीं होता है ।

55- विचारणीय प्रश्न क्रमांक 03 व 04 के संबंध में उपरोक्त विश्लेषण से यह दर्शित होता है कि मृ़तिका सुखमति कुम्हार के जेवर की लूट करते समय घातक आयुध टांगी का प्रयोग आरोपी रामनारायण के द्वारा किया गया है। अतः आरोपी रामनारायण के विरूद्ध धारा 397 भादसं का आरोप प्रमाणित होता है ।

56– विचारणीय प्रश्न क्रमांक 05 के संबंध में उपरोक्त साक्ष्य विश्लेषण से यह दर्शित होता है कि मृतिका सुखमति कुम्हार की हत्या करने के बाद उसे घटना स्थल से ले जाकर नदी किनारे रेत में गड़ा कर हत्या के अपराध की साक्ष्य को छुपाया गया । अतः धारा 201 भादंस का आरोप आरोपी रामनारायण के विरूद्ध प्रमाणित पाया जाता है ।

57– उपरोक्त विश्लेषण के अनुसार आरोपी कमलेश केंवट को संदेह का लाभ देते हुये धारा 460, 302/34,397, 201 भा.दं.सं के अपराध में दोषमुक्त किया जाता है तथा आरोपी रामनारायण के विरूद्ध परिस्थति जन्य साक्ष्य के आधार पर धारा 302, 397, 201 भा.द.सं. में दोषसिद्ध ठहराया जाता है तथा धारा 460 एवं 398 भा.द.सं के आरोप में दोषमुक्त किया जाता है ।

58– परिणामतः आरोपी रामनारायण कुम्हार को धारा 302, 397, 201 भा.द.सं. में दण्डादेश के बिन्दु पर सुने जाने हेतु निर्णय स्थगित किया जाता है ।

सही/–
(श्रीमती पल्लवी तिवारी)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, जांजगीर
जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

<u>पुनश्च</u>

59- दंड के प्रश्न पर उभयपक्ष को सुना गया । अभियोजन की ओर से निवेदन किया गया कि अभियुक्त रामनारायण कुम्हार को अधिकतम दंड से दंडित किया जाये । अभियुक्त की ओर से निवेदन किया गया कि उसे कम से कम दंड दिया जाये ।

60- उभयपक्ष के निवेदन पर विचार किया गया । **माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत <u>बचन सिंह</u> बनाम <u>पंजाब राज्य</u> AIR 1980 SC 898** तथा न्यायदृष्टांत **<u>माछी सिंह</u>** बनाम **<u>पंजाब राज्य</u> AIR 1983 SC 957** में प्रतिपादित सिद्धांत के अंतर्गत वर्तमान प्रकरण में विचार किए जाने पर यह प्रकरण मृत्यु दण्ड से दंडित किए जाने योग्य विरलतम से विरलतम प्रकृति का प्रकरण नहीं है । धारा 302 भा.दं.सं. के अंतर्गत हत्या के अपराध मे न्यूनतम दंड आजीवन कारावास एवं जुर्माना है ।

61- अतः अभियुक्त रामनारायण कुम्हार को धारा 302 भा.दं.सं. के अपराध मे आजीवन कारावास तथा 5000/- रुपये (पॉच हजार रुपये) के अर्थदण्ड तथा धारा 397 भा.दं.सं. के अपराध मे 07 वर्ष (सात वर्ष) के सश्रम कारावास एवं 4000/-रुपये (चार हजार रुपये) का एवं धारा 201 भा.दं.सं. के अपराध मे 05 वर्ष (पॉच वर्ष) के सश्रम कारावास एवं 3000/- रुपये (तीन हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है । अर्थदण्ड

अदा किए जाने मे व्यतिक्रम होने पर अभियुक्त को क्रमशः 6,5 एवं 4 माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगताई जावे। कारावास की सभी सजायें साथ साथ चलेंगी ।

62- इस प्रकरण मे अभियुक्त कमलेश केंवट दिनांक 29.06.2021 से 10.11.2022 तक कुल 500 दिवस एवं अभियुक्त रामनारायण द्वारा दिनांक 20.12.2021 से दिनांक 30.11.2023 तक कुल 711 दिवस विचारण के दौरान अभिरक्षा मे बिताई गई अवधि धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत पृथक से प्रमाण पत्र तैयार किया जाये ।

63- अभियुक्त रामनारायण कुम्हार द्वारा दिनांक 20.12.2021 से दिनांक 30.11.2023 तक कुल 711 दिवस अभिरक्षा मे बितायी गयी अवधि धारा 428 सहपठित धारा 432 दं.प्र.सं. के अंतर्गत सजा का परिहार किए जाते समय नियमानुसार समायोजित की जा सकती है ।

64- प्रकरण में जप्तशुदा कांक्रीट मसाला,कांक्रीट सादा,मृतिका के शरीर के अवयव,बोरी,टांगी, आरोपीगण व मृतिका के पहने कपडे,प्लास्टिक बाटल मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में नष्ट किया जावें। प्रकरण मे जप्त सोने चांदी के जेवरात (जप्ती पत्रक प्र.पी.9 मे उल्लेखित अनुसार) अपील अवधि पश्चात अपील नहीं होने की दशा मे मृतिका

सुखमति कुम्हार के वैध उत्तराधिकारीयों को प्रदान किया जाये तथा प्रकरण मे जप्त मोटर सायकल व जियो कंपनी का मोबाइल उसके पंजीकृत स्वामी को अपील नहीं होने की दशा मे अपील अवधि पश्चात प्रदान किया जाये, अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार संपत्ति का निराकरण किया जाएगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित/दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित

सही/-
(श्रीमती पल्लवी तिवारी)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, जांजगीर
जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

सही/-
(श्रीमती पल्लवी तिवारी)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, जांजगीर
जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)